क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	उस भवन का नाम जहां सूचना-सुविधा-काउंटर स्थापित किया गया है
35.	लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	"
36.	सम्पदा निदेशालय	"
37.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	"
38.	भूमि एवं विकास कार्यालय	"
39.	शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग	"
40.	डाक विभाग	डाक भवन
41.	नागर विमानन मंत्रालय	राजीव गांधी भवन सफदरजंग हवाई अड्डा
42.	संघ लोक सेवा आयोग	धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड।
43.	पर्यटन विभाग	परिवहन भवन।

मंत्रालयों में भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ

1748. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों में भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ की भूमिका और कार्य क्या हैं;

(ग) क्या यह प्रकोष्ठ आम आदमियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों और विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की रिपोर्ट दर्ज कर रहा है;

(घ) क्या आम आदमी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कोई संस्थागत तन्त्र है; और

(ङ) मंत्रालय-वार आज तक इस प्रकोष्ठ को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दन) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) मंत्रालयों/विभागों के सचिव और अध्यक्ष अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों में अपने-अपने अंशकालिक मुख्य सतर्कता-अधिकारी होते हैं जिनसे यह अपेक्षित होता है कि वे अपने-अपने मंत्रालय/विभाग में प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के संबंध में नियमानुसार आगे कार्रवाई करने के सिलसिले में मामले की समुचित जांच-पड़ताल करें। चूंकि यह कार्य प्रत्येक मंत्रालय/
विभाग में स्थापित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है अतः यह केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर किया जाना अपेक्षित नहीं है।

आई०ए०एस०/आई०पी०एस० अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

1749. **श्री जनार्दन यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत नियुक्त किए गए कितने आई०ए०एस०/आई०पी०एस० अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है; और

(ख) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जांच कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष अधिकारियों के खिलाफ जांच कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दन): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, भारत सरकार के अन्तर्गत कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के 21 अधिकारियों के खिलाफ नियमित तथा प्रारंभिक-जांच दोनों ही तरह के 23 मामले दर्ज किए गए। इनमें से ऐसे 9 मामलों की जांच पूरी कर ली गई जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारी संलिप्त थे। शेष 14 मामलों में जांच की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न स्तरों पर है। केन्द्रीय जांच-ब्यूरो उपर्युक्त जांच संबंधी कार्य तीव्रता से पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा है।

Increase in Clerical Vacancies

1750. SHRI K.M. KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Starred Question 22 given in the Rajya Sabha on the 28th May, 1998 and state:

(a) whether Government propose to increase clerical vacancies for candidates of unreserved category in view of a large number of educated youth registered with Employment Exchange for employment; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise as increase in age of retirement has no relation with number of vacancies.

Engagement of Retired Employees in Business/Private Companies

1751. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large number of Government employees after retirement are engaged with private firms or have entered into business deals with Government owned companies;

(b) if so, what are the rules in this regard; and

(c) the action taken by Government against those retired Central Government employees who entered into business contract with Government companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) As per available information, some government servants have joined private firms within 2 years of retirement. Action is taken against such retired government servants by the concerned administrative Ministry/Department if they join a private firm without seeking prior permission of the government. Such information is, however, not centrally maintained.

(b) and (c) Under the existing rules, a retired Group 'A' officer is required to obtain previous sanction of the Government for accepting any commercial employment within two years of retirement.

The previous sanction of the Government is not required if any retired Group 'A' officer undertakes an employment under a body corporate wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government.